बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 2 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वसियत नामा का अवलोकन किया गया। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। तहसीलदार डेह को परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। वादीगण संख्या 1 से 3 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार कृषक घोषित किया जाना न्याय संगत है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— :: आदेश ::—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 सुन्दरसिंह, वादी संख्या 2 भैरूसिंह व प्रतिवादी संख्या 1 भंवरसिंह के सहहक बंट कब्जे काश्त में मौजा जालनियासर के खसरा नम्बर 17 रकबा 4.2492 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 219/325 रकबा 1.0926 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 242/329 रकबा 2.5576 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 39/296 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 55/299 रकबा 4.0307 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 776/299 रकबा 0.2023 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा, रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 3 दीपेन्द्रसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 2 मनोहरसिंह के सहहक बंट कब्जे काश्त में मौजा जालनियासर के खसरा नम्बर 17 रकबा 4.2492 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 219/325 रकबा 1.0926 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 242/329 रकबा 2.5576 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 39/296 रकबा 1.6187 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 55/299 रकबा 4.0307 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा, खसरा नम्बर 776/299 रकबा 0.2023 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा, रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेाग। बैंक सूचित हो।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

निर्णय आज दिनांक 23/09/24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner